यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड के माह 04/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एसआर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.10.2020 से 12.10.2020 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। इस लेखापरीक्षा में अवधि/माह 04/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।**
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इस संस्थान मे प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के हरिद्वार जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है। इसमे रुड़की का क्षेत्र विशेषकर शामिल है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2015-16	2230	193.41	177.59	15.82
2016-17	2230	90.88	92.05	-1.17
2017-18	2230	95.07	92.56	2.51
2018-19	2230	94.69	68.22	26.47
2019-20	2230	12.15	84.60	-72.45
2020-21 (9/20)	2230	3.79	43.90	-40.11

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18	----------NIL----------					
2018-19						
2019-20						
2020-21 (9/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. प्रधानाचार्य
6. अनुदेशक
7. समूह ग एवं घ कर्मचारी
8. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** के माह 04/2015 से 09/2020 तक की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 03/2016,01/2018 & 10/2016 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 'अ'

प्रस्तर 01:- एन०सी०वी०टी० से मान्यता न मिलने के कारण फीटर (₹19.06 लाख) एवं आर०एसी० (₹37.58 लाख) व्यवसाय पर किया गया व्यय धनराशि ₹56.64 लाख का निष्फल होना ।

कार्यालय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान पिरान कलियर (रुड़की) की लेखापरीक्षा में संस्थान में संचालित भारत सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना (PPP) की संवीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि योजना की शत-प्रतिशत फंडिंग भारत सरकार की होगी जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से उच्चीकरण कर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से निकलने वाले प्रशिक्षार्थियों को औधोगिक प्रतिष्ठानों की मांग के अनुरूप तैयार करना एवं रोजगारपरक में सुधार लाना है। इस योजना के अनुसार गठित Institute Management Committee (IMC) इंडस्ट्री पार्टनर की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री पार्टनर की मदद से विभिन्न उधोगों की स्थानीय आवश्यकता का निर्धारण कर उसी अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। भारत सरकार द्वारा जारीIMC के गाइडलाइंस के अनुसार औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान मे अपग्रेडेड ट्रेड पर ही योजना की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है तथा अपग्रेडेड ट्रेड वह होगी जिसकी संबद्धता(Affiliation)National Council of Vocational Training(NCVT) से होगी। गाइडलाइंस मे इस बात का भी उल्लेख पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति आई एम सी द्वारा सर्वे पश्चात Institutional Development Plan(आईडीपी) के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप योजनाओं से संबन्धित क्रियाकलापों का दर्ज विवरण को राज्य स्तर पर गठित State Steering Committee(एसएससी) से अनुमोदन प्राप्त कर एस एस सी द्वारा अनुमोदित आई डी पी की एक प्रति Director General of Employment & Training(DGET) भारत सरकार को भेजे जाने का प्रावधान है।IMC के वर्ष 2014 के निर्णय तदुपरान्त एसएससी द्वारा अनुमोदित आई डी पी अभिलेखों के अनुसार लेखापरीक्षा मे क्रियान्वित योजना की राशि से सिविल वर्क पर कुल रु 99.97 लाख (वेल्डर एवं फिटर के संयुक्त वर्कशॉप तथा संबन्धित कक्षा-कक्ष के निर्माण पर रु 62.39 लाख तथा रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनर(आर एसी)वर्कशॉप के निर्माण पर रु 37.58 लाख) व्यय तथा मशीन-टूल्स पर कुल व्यय रु 48.20 लाख के सापेक्ष लेखापरीक्षा मे रु 47.44 लाख का अभिलेख प्राप्त हुआ (फिटर व्यवसाय पर रु19.06 लाख, वेल्डर व्यवसाय पर रु20.52 लाख तथा इलेक्ट्रिशियन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय पर रु 7.86 लाख)। जिसका दिशानिर्देशन के परिप्रेक्ष्य मे परीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत पाया गया-

व्यवसाय का नाम	संचालित/ असंचालित	वर्कशॉप उपलब्ध/ अनुपलब्ध	असंचालित वर्कशॉप की वर्तमान स्थिति	निर्मित वर्कशॉप वर्ष	अक्रियाशील मशीन लागत एवं वर्तमान स्थिति
इलेक्ट्रॉनिक्स	संचालित	उपलब्ध		2015	
इलेक्ट्रिशियन	संचालित	उपलब्ध		2015	
वेल्डर	संचालित	उपलब्ध		2014	
फिटर	असंचालित	उपलब्ध	NCVT से मान्यता न मिलने के कारण वर्ष 2015 से अनुपयोगी	2014(रु 62.39 लाख से वेल्डर+फिटर का संयुक्त वर्कशॉप निर्मित परंतु फिटर वर्कशॉप कार्यरत नहीं)	लागत रु 19.06 लाख से वर्ष 2015 मे फिटर व्यवसाय के लिए क्रय मशीन वर्तमान तक अक्रियाशील
आर.एसी	असंचालित	उपलब्ध	NCVT से मान्यता न मिलने के कारण वर्ष 2016 से अनुपयोगी	2016	

इकाई के उपलब्ध अभिलेखों से प्राप्त उपरोक्त आंकड़ों के विवरण की विस्तृत जाँचोपरांत पाया गया कि IDP का SSC के अनुमोदन के पश्चात फिटर व्यवसाय का संचालन के लिए आई एम सी फंड से उनके मशीन एवं टूल्स पर वर्ष 2015 मे रु 19.06 लाख व्यय किया गया जो लेखापरीक्षा अवधि तक अक्रियाशील अवस्था मे संस्थान में पड़ी हुई पायी गयी जिसका मूल कारण व्यवसाय चलाने के लिए NCVTसे मान्यता प्राप्त न होना था। प्रयोजन की पूर्ति के लिए लागत रु 62.39 लाख से फिटर तथा वेल्डर वर्कशॉप का संयुक्त निर्माण कराया गया जिसमें फिटर वर्कशॉप अनुपयोगी पाया गया। अनुमोदन के क्रम मे वर्ष 2016 में आर एसी के वर्कशॉप के लिए भी लागत रु 37.58 लाख का व्यय किया गया, परन्तु NCVTसे मान्यता प्राप्त न होने के कारण आर एसी व्यवसाय का वर्कशॉप अनुपयोगी पाया गया तथा भौतिक निरीक्षण में वर्तमान मे आर एसी वर्कशॉप मे इलेक्ट्रॉनिक्स क्रियाकलाप देखा गया जिसके लिए कोई आधिकारिक पत्रावली लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं था। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के लिए पूर्व से(वर्ष 2015 मे)वर्कशॉप मौजूद पाया गया जिसके लिए पृथक से नाबार्ड योजना के तहत वर्कशॉप का निर्माण कराया गया था। अक्रियाशील मशीनों में बड़ी लागत की लेथ मशीन रु 6.49 लाख की वर्ष 2015 से अक्रियाशील पायी गयी जिसकी गारंटी/वारंटी समाप्त हो चुकी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर किया गया कि व्यवसाय संचालित न होने के कारण फिटर व्यवसाय की रु 19.06 लाख की मशीन अक्रियाशील है। समय-समय पर निदेशालय को सूचना प्रेषित की जाती है किन्तु निदेशालय से कोई दिशानिर्देश प्राप्त न होने के कारण मशीन ननवर्किंग मे है। लेखापरीक्षा में उठाये गये तथ्यों को समिति को प्रेषित की जायेगी तथा जानने का प्रयास किया जाएगा कि तात्कालिक समिति मान्यता के संबंध में बिना आश्वस्त हुये किस आधार पर व्यवसाय

खोलने के लिए तथा इसपर लिए गये भविष्य कि प्रत्याशा में व्यय के संबंध में निर्णय लिया गया। संबन्धित प्रकरण का निर्णय तत्कालीन समिति के अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा लिया गया था जिसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आख्या में प्रेषित की जायेगी। SCVT/NCVT से मान्यता प्राप्त न मिलने के कारण फिटर व्यवसाय तथा आर एसी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सका।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं है, अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण शासकीय धन का नुकसान हुआ। संचालित किये जाने वाले अपग्रेडेड व्यवसाय की मान्यता के बारे में शीर्ष निकाय से बिना सुनिश्चित हुये रु 19.06 लाख का पहले से मशीन खरीदने का निर्णय लेना तथा वर्ष 2015 से अबतक अक्रियाशील पड़ा रहना, उनके लिए वर्कशॉप निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए पूर्व से नाबार्ड योजना के तहत वर्कशॉप होने के बावजूद भी असंचालित व्यवसाय आर.एसी के लिए निर्मित वर्कशॉप को इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप दर्शाना तथा 2015 से अक्रियाशील मशीनों को अन्यत्र प्रशिक्षण संस्थानों जहां इसकी आवश्यकता थी स्थानतरित न कर आरएसी वर्कशॉप तथा अक्रियाशील मशीन पर कुल रु 56.64 लाख का शासकीय धन का नुकसान करने का प्रकरण पाया गया (रु 62.39 लाख की फिटर तथा वेल्डर की संयुक्त वर्कशॉप मे असंचालित फिटर वर्कशॉप की राशि रु 56.64 लाख मे सम्मिलित नहीं की गयी है)।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग - 2'ब'

प्रस्तर 02:- धनराशि ` 1.92 करोड़ का अनियमित व्यय एवं व्यय धनराशि का पारदर्शी नहीं पाया जाना।

To improve the employment outcomes of graduates from the vocational training system, by making design and delivery of training more demand responsive, in the Budget Speech 2007-08, Hon. Union Finance Minister announced upgradation of remaining 1396 Government ITIs into Centers of Excellence through Public Private Partnership. Under the scheme of Upgradation of 1396 Government ITIs through PPP, 1227 Government ITIs have been covered and an Industry Partner (IP) is associated with every ITI covered under the scheme. Institute Management Committee (IMC), registered as a society, has been constituted in each ITI and is headed by the Industry Partner. Interest free loan of Rs. 2.50 crore per ITI was released by the Central Government directly to the IMC Society of the ITI. Financial and academic autonomy have been given to the IMC society. The interest free loan is repayable by the IMC with a moratorium of 10 years and thereafter in equal annual Installments over a period of 20 years. The first installment repayable from the 11th anniversary of the day of drawl. The IMC maintains regular books of accounts, gets them audited and prepares annual reports and statements of accounts as required under the relevant Societies Registration Act. The Central Government may call for its books of accounts, vouchers, documents, etc. relating to any accounting year and also authorise an officer for their inspection. The loan amount may be used for providing additional civil work in the ITI, which shall not exceed 40% of the total loan amount; for use as seed money, which shall not exceed 50% of the total loan amount; for procurement of machinery and equipment and for other activities directly related to upgradation of training infrastructure in the ITI. The IMC shall carry out works and procure goods and services according to the Financial and Procurement Procedure of the Guidelines. As per the guidelines, a target for revenue generation has been fixed as `5.00 lakh, `10.00 lakh and `15.00 lakh for the year 2014-15, 2015-16 and 2016-17 respectively.

लेखापरीक्षा मे कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक संस्थान, पिरान कलियर, रुड़की की आईएमसी से संबंधित लेखाभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई को उच्चीकरण एवं सुद्धढ़ीकरण किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार से अप्रैल 2010 मे `250.00 लाख प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा आईएमसी योजना के अंतर्गत प्राप्त बजट से निम्न व्यय किया गया:

वर्ष	व्यय धनराशि (`)
2010-11	39,594/-
2011-12	5,99,485/-
2012-13	1,78,686/-
2013-14	6,56,010/-

2014-15	1,18,54,645/-
2015-16	18,24,182/-
2016-17	21,17,752/-
2017-18	8,84,548/-
2018-19	8,01,566/-
2019-20	1,11,807/-
2020-21	1,22,076/-
Total	**1,91,90,351/-**

उक्त से संबन्धित अभिलेखों के नमूना जांच मे निम्न कमियाँ/तथ्य प्रकाश मे आया:

1) व्यय धनराशि `1,91,90,351/- के सभी बिल/वाउचर लेखापरीक्षा को सत्यापन एवं संवीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा के समक्ष धनराशि `30.40 लाख के बिल/वाउचर सत्यापन एवं संवीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए।
2) जांच मे पाया गया कि इकाई के पास 4/2010 से 8/13 तक की आईएमसी की रोकड़ बही उपलब्ध थी। 09/13 से 03/2016 की रोकड़ बही उपलब्ध नहीं थी/बनाया नहीं गया जबकि इन अवधि मे अधिक विशेषकर वर्ष 2014-15 मे `1,18,54,645/- व्यय पाया गया। वर्ष 04/2016 से 03/2020 तक की अवधि की रोकड़ बही उपलब्ध पाया गया। 09/13 से 03/16 की रोकड़ बही उपलब्ध नहीं होने के कारण इस अवधि मे व्यय धनराशि का रोकड़ बही/बैंक खाते तथा बिल/वाउचर का मिलान नहीं किया जा सका।
3) आईएमसी के दिशानिर्देशानुसार इकाई को आईएमसी के अंतर्गत उच्चिकृत ट्रेड के माध्यम से राजस्व का अर्जन करना, प्राप्ति करना एवं उसका सदुपयोग करना भी है। लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई मे राजस्व प्राप्ति का अर्जन शून्य पाया गया। उक्त दिशानिर्देश मे दिये गए लक्ष्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 & 2016-17 मे कम से कम `30.00 लाख के राजस्व का अर्जन किया जाना था जो कि अर्जन नहीं किए जाने के कारण राजस्व हानि की श्रेणी मे आता है।
4) लेखापरीक्षा मे पाया गया कि वर्ष 2019-20 का तुलन पत्र (Balance Sheet) नहीं तैयार किया गया है।
5) लेखापरीक्षा ने जांच मे पाया कि इकाई द्वारा वर्ष मे क्रय किए गए सामाग्री की धनराशि का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	धनराशि (`)
2011-12	5,69,390/-
2012-13	1,26,350/-
2013-14	2,75,358/-
2014-15	34,10,311/-
Total	**43,81,409/-**

आगे संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई के पास उपलब्ध अभिलेख मे क्रय की गई सामाग्री का आईएमसी के वित्तीय एवं अधिप्राप्ति नियमावली से संबन्धित अनुपालन का किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख नहीं पाया गया तथा उक्त क्रय किस प्रकार किया गया, क्रय अधिप्राप्ति के नियमों के अनुसार किया गया या नहीं, क्रय पत्रावली/कोटेशन की पत्रावली/निविदा फ़ाइल/क्रय आदेश, क्रय समिति के स्वीकृति/अनुमोदन आदि से संबन्धित किसी भी प्रकार के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे लेखापरीक्षा को यह ज्ञात हो सके कि इकाई के द्वारा उक्त धनराशि का किया गया अधिप्राप्ति आईएमसी के अधिप्राप्ति दिशा निर्देशों के अनुसार था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विंदुओं को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि:

बिन्दु संख्या 01- बिल/वाउचर पुराने वर्ष एवं संबन्धित व्यक्ति का स्थानांतरण/सेवानिवृति हो जाने के कारण उक्त व्यय के सभी बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं हो पाया। जो कार्यालय मे उपलब्ध थे वो प्रस्तुत किया गया।

बिन्दु संख्या 02- संबन्धित व्यक्ति की सेवानिवृति हो जाने के कारण जानकारी मे नहीं है। कार्यालय मे जो रोकड़ बही उपलब्ध थी, प्रस्तुत किया गया। 09/13 से 03/16 की रोकड़ बही उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

बिदु संख्या 03- अभी तक किसी प्रकार की राजस्व प्राप्ति नहीं हुयी है। राजस्व अर्जन हेतु प्रयास किए जा रहे है।

बिदु संख्या 04- 2019-20 की तुलन पत्र शीघ्र बना लिया जाएगा।

बिदु संख्या 05- पुराने अभिलेख होने के कारण एवं संबन्धित व्यक्ति के सेवानिवृति हो जाने के कारण क्रय पत्रावली/कोटेशन-टेंडर एवं अधिप्राप्ति आदि किए जाने से संबन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है जो भी बिल/वाउचर की फ़ाइल उपलब्ध थी प्रस्तुत किया गया। अधिप्राप्ति किस प्रकार किया गया पुराने प्रकरण होने के कारण बताया जाना संभव नहीं है।

लेखापरीक्षा को उक्त बिन्दुओं पर इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को सभी प्रकार के अभिलेख को उपलब्ध कराना डीडीओ/कार्यालयाध्यक्ष एवं आईएमसी के सचिव (The Principal of the ITI, as the ex-officio Member Secretary) के है जो कि इस प्रकरण मे लापरवाही एवं अभिलेखों की रख-रखाव की लचर व्यवस्था को दर्शाता है।

अतः उक्त प्रकरण को उच्चाधिकारी एवं शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।	**--**	**--**	**--**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
--	**--**	--	**--**	--	--	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
01	श्री आरके वर्मा	प्रधानाचार्य	01/09/13 से 19/04/15
02	श्री एके त्रिपाठी	प्रधानाचार्य	20/04/15 से 16/03/16
03	श्री मनमोहन कूडियाल	प्रधानाचार्य	17/03/16 से 16/04/19
04	श्री फकीर चंद	प्रधानाचार्य	16/04/19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र),कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी०-I